म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड़ भोपाल

क./बी–6/नियमन/उप/संशोधन/2009/2536 भोपाल, दिनांक,18/12/2009

–:: आदेश ::–

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस किसी अधिसूचित कृषि उपज पर–

(एक) राज्य में एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में; या

(दो) उसी मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक बार; उस दशा में उदग्रहित नही की जायेगी जबकि उसका पुनर्विक्रय–

(क) उपर (एक) की दशा में, उस मंडी क्षेत्र से जिसमे वह यथास्थिति किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय हेतु लाई गई थी या क्रय की गई थी या बेची गई थी तथा उस पर मण्डी क्षेत्र में फीस लग चुकी है भिन्न मण्डी क्षेत्र में या;

(ख) उपर (दो) की दशा में, उस मण्डी क्षेत्र में–

व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहारों के अनुक्रम में या उपभोक्ताओं को किया जाता है बशर्तें संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में, जो उपविधियों में विहित किया जाए, इस प्रभाव की सूचना दे दी गई हो कि इस प्रकार पुनः बेची जा रही इस अधिसूचित कृषि उपज पर राज्य के अन्य मण्डी क्षेत्र में फीस पहले ही लग चुकी है;

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान धारा 19 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अंतर्गत उसी मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक बार वाणिज्यिक संव्यवहार होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को उपविधि में विहित प्ररूप में ऐसी सूचना मंडी समिति को देना अनिवार्य है कि इस प्रकार पुनः बेची जा रही इस अधिसूचित कृषि उपज पर राज्य के अन्य मण्डी क्षेत्र में मण्डी फीस पहले ही लग चुकी है। परन्तु अधिनियम के उक्त प्रावधान के अधीन उपरोक्तानुसार सूचना का प्ररूप उपविधियों में विहित नही है। इस संबंध में इन्दौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ में याचिका क्रमांक 996/2009 दायर कर मण्डी अधिनियम के उक्त प्रावधानो के अधीन वाणिज्यिक संव्यवहार में जारी की जाने वाली सूचना/घोषणा का प्ररूप उपविधियों में प्रावधानित किये जाने हेतु मांग की गई।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश दि 23.03.2009 के अनुपालन में इन्दौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अभ्यावेदन के परिक्षणोंपरान्त पारित आदेश क्रमांक बी–6/ नियमन/ 25/पार्ट/150 भोपाल, दिनांक 08.10.2009 के अध्यधीन मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 81(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य की समस्त मण्डी समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मण्डी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 में निम्नानुसार संशोधन इस आदेश के जारी होंने की दिनांक से 30 दिवस में स्थापित करें–

उपविधि की कंडिका 20(10) के पश्चात् निम्नानुसार नवीन कंडिका 20(10) (ग) स्थापित की जावे, अर्थातः–

20(10)(ग)

(एक) म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम,1972 की धारा 19 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अधीन मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में विक्रेता द्वारा इस आशय को सूचना/घोषणा "प्ररुप–9 (अ)" में दी जायेगी कि अधिसूचित कृषि उपज पर देय मंडी फीस, मंडी क्षेत्र में पहले ही लग चुकी है।

(दो) कंडिका (एक) के अधीन जारी की जाने वाली सूचना/घोषणा की पुस्तिकें मण्डी समिति द्वारा मुद्रित एवं प्रमाणित की जावेगी तथा लागत मूल्य पर अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की जावेगी। पूर्व में दो गई पुस्तिका वापस जमा करने का दायित्व जारीकर्ता का होगा। सूचना/घोषणा पुस्तिका कमशः चार रंगो पीला, हरा, गुलाबी तथा सफेद में चार प्रतियों में मुद्रित कराई जायेगी। प्रथम तथा द्वितीय प्रति केता को दी जावेगी जो परिवहन के समय चालक के साथ रहेगी। केता प्रथम प्रति मण्डी समिति को पाक्षिक विवरणी के साथ "प्ररूप–9(ब)" में सूची सहित प्रस्तुत करेगा तथा द्वितीय प्रति अपने अभिलेख में रखेगा। विक्रेता तृतीय प्रति अभिलेख में रखेगा तथा चतुर्थ प्रति विक्रेता बुक में शेष रहकर मंडी समिति के कार्यालय में विक्रेता द्वारा वापस जमा की जावेगी और विक्रेता द्वारा पक्ष में जारी किये गये सूचना/घोषणा पत्रों की पाक्षिक सूची "प्ररूप–9(ब)" में पाक्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा। केता व्यापारी जब प्ररूप–9(अ) में सूचना/घोषणा देगा तब ऐसी उपज पर मण्डी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जावेगा। व्यापारी द्वारा प्ररूप–9(अ) में घोषणा दी जाती है तो इसका कतई यह आशय नहीं है कि ऐसी घोषणा अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) में जारी की जाने वाली अनुज्ञा की आवश्यकता की पूर्ति करेगी। कृषि उपज, मण्डी प्रांगण, मूल मण्डी या मण्डी क्षेत्र से तभी हटाई जाएगी जब अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) तथा उपविधि 2000 की कंडिका 20(13) के अनुसार अनुज्ञापत्र जारी हो चुका हो।

(तीन) मण्डी सचिव केता/ विक्रेता द्वारा पाक्षिक विवरणी के साथ जमा किये गये उक्त सूचना/घोषणा पत्रों की सूची का व्यापारीवार अभिलेख संधारण करेगा तथा व्यापारियों को जारी या व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अनुज्ञापत्रों तथा पाक्षिक विवरणी में दर्शाई गई कृषि उपजों की खरीदी बिकी तथा शेष स्कंध एवं अन्य अभिलखों से उसका मिलान (कास चेक) एवं परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी केता/विकेता द्वारा प्रस्तुत/जारी सूचना/घोषणा पत्र में उल्लेखित देय मंडी फीस का भुगतान वास्तव में मंडी समिति को हो चुका है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत सूचना/घोषणा पत्र सत्य तथा सही है। केता एवं विक्रेता "प्ररूप 9–(ब)" में प्रस्तुत की गई सूची की पंजी का भी संधारण करेंगे जो लेखा सत्यापन/मंडी फीस निर्धारण के समय मंडी सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(चार) मण्डी सचिव द्वारा यदि परीक्षण में यह पाया जाता है कि धारा 19 के उपबंधों के अधीन देय मंडी फीस का भुगतान नही किया गया है/हुआ है तो संबंधित विक्रेता, जिसने मंडी फीस भुगतान संबंधी सूचना/घोषणा जारी की है, से मंडी समिति द्वारा धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन दाण्डिक मंडी फीस की वसूली की जावेगी तथा ऐसे अनुज्ञप्तिधारक की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी।

अतः उपविधि में उपरोक्तानुसार अपेक्षित संशोधन म.प्र. कृषि उपज मंडी, लेखा तथा राज्य विपणन सेवा के गठन की रीति तथा अन्य विषय नियम, 1980 के नियम 176(3) (4) में यथाविनिर्दिष्ट प्रकिया का पालन करते हुए मण्डी समिति के प्रस्ताव द्वारा उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्थापित कर, उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय के माध्यम से सूचित करें। यदि मंडी समिति उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उपविधि को उपरोक्तानुसार संशोधित करने में असफल रहती है तो धारा 81(2) के अधीन उपरोक्त उपविधि संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मंडी समिति द्वारा संशोधित किया गया समझा जावेगा और तदुपरि उक्त संशोधन मंडी समिति पर आबद्धकर होगा।

उपरोक्त संशोधन अन्तर्गत प्ररूप–9 (अ) तथा प्ररूप–9 (ब) संलग्न है।

(विवेक अग्रवाल)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क./बी–6/नियमन/उप/संशोधन/2009/2537-38 भोपाल, दिनांक 18/12/2009
प्रतिलिपिः–

(1) उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय इन्दौर/उज्जैन/भोपाल/ ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर को निर्देशित किया जाता है कि उपविधि में उक्त संशोधन संभाग की प्रत्येक मंडी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित करे तथा कृत कार्रवाई के संबंध में संभाग की समस्त मंडियों का संकलित पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित करें।

(2) अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति......................(समस्त) की ओर पालनार्थ। उपविधि में अपेक्षित उक्त संशोधन मंडी समिति द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर विनिर्दिष्ट कालावधि में स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्ररूप–9 (अ)
मंडी क्षेत्र में "वाणिज्यिक संव्यवहार" की सूचना/घोषणा
(मण्डी अधिनियम की धारा 19 (3)(दो) (ख) के अंतर्गत)

बुक कमांक....................सरल कमांक.................दिनांक..

1. विकेता फर्म का नाम...अनुज्ञप्ति कमांक.............
पूरा पता ....

2. केता फर्म का नाम..अनुज्ञप्ति कमांक........ ...
पूरा पता ....

3. अधिसूचित कृषि उपज का नाम..............................मात्रा (नग)..............वजन.........
बिल कमांक.............दिनांक....................मूल्य ....(रूपये)

4. परिवहन का साधन....................वाहन कमांक.................चालक का नाम.............

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचित कृषि उपज पर देय मंडी फीस/भुगतान की गई मंडी फीस संबंधी अनुज्ञा पत्र मंडी समिति के कार्यालय में जमा कर दी गई/कर दिये गये है। साथ ही मेरे/हमारे द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपरोक्त अधिसूचित कृषि उपज पर देय मण्डी फीस का निम्नानुसार भुगतान किया जा चुका है। देय/भुगतान की गई मंडी फीस के भुगतान के संबंध में आवश्यकतानुसार वांछित अन्य अभिलेख प्रस्तुत कर समाधान कराने का दायित्व मेरा/हमारा रहेगा।

(प्राथमिक संव्यवहार में उत्पादक से अनुबंध/सौदा द्वारा कय की दशा में)

5. विकेता द्वारा जमा की गई मंडी फीस का विवरण–
बुक/रसीद कमांक.............दिनांक...................राशि ....

(अन्य मंडी क्षेत्र से अनुज्ञापत्र द्वारा कय की दशा में)

6. अनुज्ञापत्र बुक एवं सरल कमांक..................................दिनांक..........................मंडी
समिति का नाम...जिला...............

(मण्डी अधिनियम की धारा 19 (3)(दो) (ख) के अंतर्गत वाणिज्यिक संव्यवहार की दशा में)

7– विकेता से प्राप्त सूचना/घोषणा का बुक कमांक ....अनुकमांक.................
दिनांक......................

विकेता/जारीकर्ता फर्म के हस्ताक्षर

फर्म की मुद्रा

....

नाम...

नोट–1– केवल विकेता फर्म के स्वामी/प्रोपराईटर/भागीदार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित सूचना/घोषणा पत्र ही मान्य होंगे।

परीपत्र–1

प्ररूप 9—(ब)

मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच ''वाणिज्यिक संव्यवहार'' के अनुक्रम में अधिसूचित कृषि उपज के पुनः विक्रय पर उपविधि कंडिका 20(10) (ग)(दो) के अधीन क्रेता/विक्रेता द्वारा जारी की गई सूचना/घोषणा की सूची—

क्र.	सूचना/घोषणा जारी करने/प्राप्त करने की स्थिति में		वाणिज्यिक संव्यवहार में क्रय अथवा विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का विवरण		फर्म पर अधिसूचित कृषि उपज के आगमन/निर्गमन का	सूचना/घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का
	क्रमांक	दिनांक	नाम	वजन	दिनांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

प्रस्तुतकर्ता व्यापारी/
फर्म की मुद्रा एवं हस्ताक्षर
दिनांक..

(विवेक अग्रवाल)
प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परीपत्र–1